

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं०-टी० ए० गिस वाद सं०- 169B/2019-20

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b)

विश्वनाथ महतो.....आवेदक / विक्रेता

बनाम

भारती कुमारी महतो.....क्रेता

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अग्र्युवित

20-02-2020

विक्रेता :- विश्वनाथ महतो पिता स्व० बुधु महतो, ग्राम-मानिकबाजार, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड), जाति-कुर्मी।

क्रेता :- भारती कुमारी महतो पति अशोक कुमार महतो, सा०-हातिया, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड), जाति-कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 21.12.2019 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता भारती कुमारी महतो पति अशोक कुमार महतो, सा०-हातिया, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना / थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
मानिकबाजार	सरायकेला / 286	63	525	0.12½ एकड़

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 99 दिनांक 27.01.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के परदादी के नाम से खतियान में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास लगभग रकवा-2.26½ एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला एवं जाति-'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

लगातार.....2



उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।


न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता विश्वनाथ महतो पिता स्व० बुधु महतो, ग्राम-मानिकबाजार, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला- खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता भारती कुमारी महतो पति अशोक कुमार महतो, सा०-हातिया, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा-0.12½ एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,



भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।